

Speed Post



भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. TRS/5/2014/MCVLI/SEHRMT/RU-III

Date: 03.12.2018

To,

The Chairman-cum- Managing Director,
Air India,
Airlines House ,113,
Gurudwara Rakabganj Road,
New Delhi-110001

Sub: Representation dated 25.07.2016 Sh. Tilak Ram Sharma, flat no. 224, pocket-23
Sec-24, Rohini, Delhi regarding promotion

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken Shri
Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes
(NCST) on 10-10.2018 for information and necessary action.

**It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to
the Commission within months' time.**

Encl: As above

Yours faithfully,

(Dr. Lalit Latta)

Director

Copy to:

1. Sh. Tilak Ram Sharma, Flat no. 224, Pocket 23 Sec-24, Rohini, Delhi-110085
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.
- 4.

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. TRS/5/2014/MCVL1/SEHRMT/RU-III

विषय: श्री तिलक राम शर्मा, रोहणी, दिल्ली के प्रमोशन के मामले में श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 10.10.2018 को 4:00 बजे का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 10.10.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी परिशिष्ट 'क'


श्री तिलक राम शर्मा के प्रमोशन के मामले में पहले की इस आयोग में व्यापक चर्चा हुई है। आयोग ने श्री तिलक राम शर्मा को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। माननीय अध्यक्ष के समक्ष श्री तिलक राम शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनके साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने के कारण मेरे मामले पर एयर इण्डिया द्वारा भेदभाव किया जा रहा है जबकि एक कर्मचारी की कार्यवाही श्री राजहंस गोयल का मामला भी इसी प्रकार का था जिनकी 8 वेतन वृत्तिया 2000 में रोकी गई थी जो बाद में एक वर्ष के भीतर 2001 में ही वापिस कर दी गई जबकि मेरे मामलें में मेरी चार वेतन वृत्तिया रोकी गई थी जो बाद में 18 वर्ष बाद 2016, मई में वापिस की गई।

वर्ष 2007 में एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स का विलय हुआ और जिसकी नियुक्ति 1995 में एयर इण्डिया में हुई थी उनको वर्ष 2009 में अधिकारी वर्ग में प्रमोशन दिया गया जबकि मैं 1992 में इण्डियन एयरलाइन्स (वर्तमान में एयर इण्डिया) में नियुक्त हुआ तो मुझे वर्ष 2015 में अधिकारी वर्ग में पदोन्नति दी गई। उन्होंने आयोग को बताया कि उनके साथ आरक्षित/जातिगत भावना से भेदभाव किया गया था जबकि उन्हें भी प्रमोशन 2007 से ही अधिकारी (वाणिज्य) मिलना चाहिए था।

आयोग की अनुशंसाएँ:

1. आयोग ने एयर इण्डिया को अनुशंसा दी कि इस मामलें को सी.एम.डी. (प्रबन्ध निदेशक) एयर इण्डिया देखें और नियमानुसार श्री तिलक राम शर्मा को अधिकारी वाणिज्य के पद 2010 से तथा 2015 सहायक प्रबंधक वाणिज्य के पद पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव न हों।

2. श्री तिलक राम शर्मा स्वयं भी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एयर इण्डिया के कार्यालय में जाकर अपने मामलें के बारे में बात करें।


27.11.18

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

परिशिष्ट 'क'

सिटिंग में भाग लेने वालों की सूची

क्रम संख्या	नाम और पद
I	<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग</u>
1.	श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष
2.	सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
3.	श्री एच. के. डामोर, माननीय सदस्य
4.	श्री एच. सी. वसावा, माननीय सदस्य
5.	श्रीमति एम. सी. इवनाते माननीय सदस्य
6.	श्री राघव चंद्रा, सचिव
7.	श्री शिशिर कुमार रथ संयुक्त सचिव
8.	श्री ललित लट्टा निदेशक
9.	श्री डी. सी. कटोच सलाकार

II

एयर इण्डिया, नई दिल्ली

1.

श्री पी. एस. खरोला,
सी.एम.डी., एयर इण्डिया

2.

श्रीमति अमृता शर्मा,
निदेशक (कार्मिक), एयर इण्डिया

3.

श्री अश्वनी सेहगल,
महाप्रबंधक (कार्मिक), एयर इण्डिया

4.

श्री विकास गुप्ता,
अतिरिक्त महाप्रबंधक (कार्मिक), एयर इण्डिया

IV

याचिकाकर्ता

1.

श्री दिनेश चंद्रा भास्कर,
उप प्रबंधक

2.

श्री तिलक राम शर्मा

3.

श्री श्यामू टेकाम,
सहायक प्रबन्धक

4.

श्री पी. जी. एन. जोगना (DCB cases)